2

v

## Case: Re Arshi

Case ~~being has~~ was sent to Comrade Bardhan & " Jagroop.

Party

Arshi's explanation — a copy which was given me by Comrade Harbhajan

1. Letter to Comms Jagroop & Harbhajan ↳ enquiring about the ~~decision~~ position of the case SPP 23/5/2007

## पंजाब लैंड होल्डिंग एक्ट की उड़ाई धज्जियां, सांसदों-विधायकों ने करोड़ों कमाए

# घोटाले में अमृतसर-तरनतारन के 8 महारथी

*घोटाले में कांग्रेस सहित अकालियों ने भी भरी जेबें*

**भास्कर न्यूज. अमृतसर**

सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उसके कार्यकाल में हुए घोटाले हमेशा अखबारों की सुर्खियां बनते रहे हैं, लेकिन कैप्टन सरकार के दौरान चंडीगढ़ के गांव कांसल में करोड़ों रुपए की जमीन के घोटाले में तो सभी पार्टियों ने रिकार्ड तोड़ डाले हैं। इस घोटाले में शामिल कांग्रेस, अकाली, भाजपा, सीपीआई और बसपा के वर्तमान और पूर्व 22 सांसद और विधायकों ने तो एक नया रिकार्ड बना दिया है। इनमें अमृतसर और तरनतारन के पूर्व और मौजूदा सांसद और विधायक भी शामिल हैं।

पंजाब लैंड होल्डिंग एक्ट की धज्जियां उड़ाकर रिहायशी कालोनी के लिए सवा पांच करोड़ में खरीदी गई 22 एकड़ जमीन को 250 करोड़ रुपए में बेचकर जेबें गर्म की गईं। इस घोटाले में जिला अमृतसर और तरनतारन के आठ पूर्व और मौजूदा सांसद और विधायक भी शामिल हैं।

सन 2000 में दि पंजाबी कोआप्रेटिव हाऊसिंग बिल्डिंग सोसायटी गठित की गई थी, जिसके लोकसभा के डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल चेयरमैन थे। सोसायटी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दबाव बनाकर चंडीगढ़ के साथ लगते गांव कांसल की जमीन उस समय ली था जब कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र के तीन कालोनाइजर अंबा प्रशाद, सुनील सैणी और [illegible] कुमार को इस एक्ट की उल्लंघना के आरोप में जेल में अंदर किया था। सोसायटी ने खुद ही एक्ट का उल्लंघन कर यह जमीन 250 करोड़ रुपए में टाटा हाऊस बिल्डर कंपनी को 25 फरवरी 2007 को बेच दी।

### प्रत्येक को मिलने थे 82 लाख और डीलक्स फ्लैट

कंपनी ने सोसायटी के हरेक सदस्य को इस जमीन पर 2200 वर्ग फुट एक सुपर डीलक्स फ्लैट तैयार करके देने का वायदा किया था तथा प्रत्येक सदस्य को 82 लाख रुपए किश्तों में देने मंजूर किए थे। रकम की पहली 17 लाख की किस्त का भुगतान पहले ही हो चुका है। सोसायटी के सदस्यों और कंपनी के यूटी गैस हाऊस में हरेक सदस्य के साथ ब्यान। अलग-अलग स्टाम पर किया गया है।

गौरतलब है कि विधायकों और सांसदों ने मुख्यमंत्री को भूमि संबंधी विचार बदलने के लिए और उनको मनाने के लिए अपना पूरा रसूक इस्तेमाल किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही चंडीगढ़ के क्षेत्रों में जमीन इकट्ठी करके बेचने और खरीदने पर रोक लगाने के लिए एक आर्डीनेंस जारी किया था और सरकार ने खुद ही तोड़ दिया।

### कैसे बेची गई जमीन

सोसायटी ने एक पूर्व सरपंच के जरिये उक्त 22 एकड़ जमीन 25 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से ली थी। इसमें कई विधायकों ने दो-दो प्लाट भी लिए थे। पंजाब सरकार द्वारा चेंज ऑफ लैंड यूज की आज्ञा देने से इस जगह का रेट एकदम बढ़ गया और एक सदस्य पूर्व मंत्री सतपाल सैनी ने अपने दो प्लाट 30-35 लाख रुपए में बेच दिए। सरकार द्वारा कांसल को नोटिफाइड एरिया कमेटी में शामिल करने और एमएलए सोसायटी की जमीन गैर खेती योग्य करार देने से कंपनी की नजर इस पर पड़ गई। सोसायटी ने जमीन बेचने के लिए चोटी के बिल्डरों से संपर्क किया, मगर कांग्रेस सरकार के आखिरी दो महीनों के दौरान सोसायटी टाटा हाऊस कंपनी के साथ हाथ मिलाने पर कामयाब हो गई। इसी के तहत कंपनी और सोसायटी के बीच लिखित समझौता हुआ और जमीन 25 फरवरी 2007 को कंपनी की झोली में चली गई।

> *सोसायटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह अटवाल है। इस बारे में वही ज्यादा जानकारी दे सकते है।*
>
> ***—डा. बलदेव राज चावला, पूर्व सेहत मंत्री***

> *जब सोसायटी द्वारा प्लाट लिए गए थे तो मुझे भी 1000 गज का प्लाट मिला था। मगर किसी कारण पैसों की जरूरत पड़ने पर मैंने प्लाट कंवर जगदीप सिंह को बेच दिया था। मुझे नहीं पता कि जमीन को बेच दिया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी सोसायटी के चेयरमैन ही दे सकते है।*
>
> ***—दया सिंह सोढी, पूर्व सांसद***

### दिग्गजों की सूची

- रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा —अकाली विधायक और पंचायती राज मंत्री
- गुलजार सिंह रणिके—अकाली विधायक
- वीर सिंह लोपोके—पूर्व अकाली विधायक
- रतन सिंह अजनाला—अकाली सांसद
- दया सिंह सोढी—पूर्व भाजपा सांसद
- डा. बलदेव राज चावला—पूर्व भाजपा विधायक
- हरजीत कौर पत्नी प्रकाश सिंह मजीठा
- ओमप्रकाश सोनी—कांग्रेसी विधायक

इस सोसायटी के सदस्यों में 16 अकाली दल के 6 भाजपा, कांग्रेस के 4 विधायक मौजदा सदन में है, जबकि अकाली दल के तीन एमपी भी इसके सदस्य है।